न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2017/00192
मिसल नम्बर–67 / 2017

1.श्याम सुन्दर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
2.ओमप्रकाश आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
3.सत्यनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
4.गणेश शंकर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
5.लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण– कैथून तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0
2.शम्भू दयाल आत्मज गोपाल लाल
3.मनोज सैनी आत्मज गोपाल लाल निवासीगण नयाखेड़ा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.निर्मला पत्नी लटूरलाल जाति तैली निवासी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 12/1/2026

उपस्थित–
1.श्री सुधीन्द्र यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री राजेन्द्र कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी कम 2 लगायत 4
3.सरकार पैरोकार उप0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 496 रकबा 2.51 हैक्टर वाके ग्राम कैथून मे स्थित है। खसरा नम्बर 487 रकबा 1.65 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर–2 व 3 के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 497 रकबा 2.94 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर–4 के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 496 में जाने के लिए वर्षों से खसरा नम्बर 497 व खसरा नम्बर 487 जो प्रतिवादी नम्बर–2 लगायत 4 के खाते दर्ज है, खसरा नम्बर 471 आम रास्ते से उक्त प्रतिवादीगण के खेत के मध्य से वर्षो से आते जाते है तथा अपने कृषि यंत्र, फसल, ट्रेक्टर आदि लेकर आते जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खसरा नम्बर 471 गोदल्याहेडी रास्ता आम रास्ता है उस रास्ते से प्रार्थीगण को अपने खेत में खसरा नम्बर 496 में जाने के लिए प्रतिवादीगण के खेत का उपयोग करना पड़ता है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से करते आ रहे है। खसरा नम्बर 471 का आम रास्ता तो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण प्रतिवादी नम्बर–2 लगायत 4 के खेत मे होकर जिस रास्ते का उपयोग वर्षों से करते आ रहे है, वह राजस्व रिकार्ड में कायम नही है और उक्त रास्ते मे अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को पूर्व में कई बार उक्त रास्ते से आने जाने में प्रतिवादी नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया, परन्तु ग्रामीण वासीयो की समझाईश प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग करते रहे, परन्तु अब प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 ने दिनांक 10.10.2017 को जब प्रार्थीगण प्रतिवादी नम्बर–2 लगायत 4 के खेत मे होकर अपने खसरा नम्बर 496 में फसल काटने के लिए ट्रेक्टर व कम्बाईण्ड मशीन लेकर जाने लगे तो उनके द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया और स्पष्ट धमकी दी, कि अब हम तुम्हे हमारे खेतो मे होकर नही आने जाने देगें। इसलिए प्रार्थीगण के लिए प्रतिवादी नम्बर–2 लगायत 4 के खेत मे होकर रास्ता कायम करवाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 10.10.2017 को प्रतिवादी नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने मे व्यवधान उत्पन्न करने व धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 496 में जाने के लिए प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 के खसरा नम्बर 487 व खसरा नम्बर 497 के मध्य में नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया।

अप्रार्थी क्रम 4 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 4 को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने इससे संबंधित प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा में प्रकरण सं० 109/2010, श्याम सुन्दर बनाम निर्मला वगै०, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कॉलोनाईजेशन कंडीशन, 1955 के अन्तर्गत ग्राम कैथून तह० लाडपूरा में आने जाने के लिये नया रास्ता कायम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त न्यायालय द्वारा प्रार्थी को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में दिनांक 26.11.15 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाया दिया गया था, जिसका प्रार्थी ने रेस्टोर कराने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और प्रार्थी अप्रार्थी कम 4 से अदावत रखते हुए परेशान करने की नियत से पुनः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में उन्हीं तथ्यों के आधार पर धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 22.12.17 को प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय द्वारा काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा उक्त तलबी हेतु तलबाना पेश नही

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करने हेतु दिनांक 04.03.2025 को दिया गया, इसके पश्चात अप्रार्थी कम 4 की तलबी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा की गई है, जिस पर अप्रार्थी कम 4 माननीय न्यायालय हाजा में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है, जो सव्यय खारिज होने योग्य है। प्रार्थी पूर्व में भी अप्रार्थी कम 4 के विरूद्ध अदावत रखते हुए संबंधित आराजी के संबंध में वाद प्रस्तुत करता है और उक्त वही वाद अदम हाजिरी में खारिज करवाता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तृत उक्त प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों के आधार पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि अप्रार्थी कम 2 व 3 को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने इससे संबंधित प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा में प्रकरण सं० 109/2010, श्याम सुन्दर बनाम निर्मला वगै०, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कॉलोनाईजेशन कंडीशन, 1955 के अन्तर्गत ग्राम कैथून तह० लाडपूरा में आने जाने के लिये नया रास्ता कायम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिपक्षी कम 3 सलाम आत्मज रशीद जाति मुसलमान, निवासी कैथून से प्रतिपक्षी कम 2 व 3 ने उक्त आराजीयात का क्रय किया था ।तब से उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी कम 3 काबिज काश्त चले आ रहे है और राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। उक्त न्यायालय द्वारा प्रार्थी को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में दिनांक 26.11.15 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाया दिया गया था, जिसका प्रार्थी ने रेस्टोर कराने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और प्रार्थी अप्रार्थी कम 2 व 3 से अदावत रखते हुए परेशान करने की नियत से पुनः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में उन्हीं तथ्यों के आधार पर धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 22.12.17 को प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय द्वारा काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा उक्त तलबी हेतु तलबाना पेश नही करने हेतु दिनांक 04.03.2025 को दिया गया, इसके पश्चात अप्रार्थी कम 2 व 3 की तलबी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा की गई है, जिस पर अप्रार्थी कम 2 व 3 माननीय न्यायालय हाजा में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है, जो सव्यय खारिज होने योग्य है। प्रार्थी पूर्व में भी अप्रार्थी कम 2 व 3 के विरूद्ध अदावत रखते हुए संबंधित आराजी के संबंध में वाद प्रस्तुत करता है और उक्त वही वाद अदम हाजिरी में खारिज करवाता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तृत उक्त प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों के आधार पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1/ तहसीलदार लाडपुरा से तत्थ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 496 पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं ना ही

उपखण्ड अधिकारी
को

वर्तमान में कोई पहुंच मार्ग की कोई समस्या है। प्रार्थीगण उक्त आराजी में लगातार फसल करता आ रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त आराजी में फसल हो रही है। जिसकी गिरदावरी की प्रतिलिपी साथ में संलग्न है। उक्त आराजी में पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है एवं उक्त आराजी में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्या) कोटा में मुकदमा नं0 106/19 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में जैरकार है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) RRT 440, 2018(2) RRT1193, 2018(1) RRT 706 पेश किए गए।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा प्रार्थीगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि विवादित आराजी खसरा नं0 496 पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पहुंच का मार्ग उपलब्ध है। मौके पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था।

चूंकि प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः उक्त परिस्थितियों मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा